कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली

क्रमांक : प–2( )संस्था / यूटीबी / 2021 / 1166 दिनांक 28 / 04 / 2021

प्रतिनिधि विज्ञापन विभाग
दैनिक भास्कर
करौली ।

विषयः–विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोविड–19 की रोकथाम हेतु यूटीबी पर भर्ती किये जाने की विज्ञप्ति की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। संलग्न विज्ञप्ति का सम्पूर्ण राजस्थान में एक दिवस हेतु न्यूनतम साईज में डीपीआर दर पर प्रकाशित करवाने का श्रम करें । प्रकाशन पश्चात् बिल की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का श्रम करें ताकि बिल का भुगतान किया जा सके ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
करौली

क्रमांक : प–2( )संस्था / यूटीबी / 2021 / 1166 दिनांक 28 / 04 / 2021
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितहै :–

1. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि संबंधित समाचार पत्र के द्वारा विज्ञप्ति का बिल प्रस्तुत करने पर बिल भुगतान की कार्यवाही करावें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
करौली

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली

क्रमांक :– प–2( )संस्था./अराज./2021/1165 दिनांक: 28/04/2021

विज्ञप्ति

कोविड –19 वैश्विक महामारी के प्रभावी नियंत्रण एवं प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1(1)चिस्वा./ग्रुप–2/2020 दिनांक 27.07.2021 की अनुपालना में प्राप्त मानव संसाधन की स्वीकृति उपरान्त जिले मे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन विभिन्न कैडर चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के स्वीकृत रिक्त पदो के विरूद्व महामारी के वर्तमान आपातकालीन समय की अत्यंत आवश्यकता के मध्यनजर यूटीबी आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राज्य सरकार की निर्धारित मासिक मानदेय दरों पर कोविड–19 के नियंत्रण अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 एवं राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियम 1965 एवं राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार भर्ती के लिए निम्न पदो के लिए नियमानुसार आवेदन गूगल फार्म मे आमंत्रित किये जाते है।

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1	चिकित्सा अधिकारी(पैथोलोजी) आरटीपीसीआर लैब हेतु सामान्य चिकित्यालय करौली	01
2	चिकित्सा अधिकारी (राजस्थान मेडिकल काउंसिल से पंजीकृत, एमबीबीएस डिग्री धारक)	25
3	जीएनएम (राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत, जीएनएम/बीएससी डिग्री/डिप्लोमा)	46
4	लैब टेक्नीशियन	50

उक्त पदों में वृद्वि/कमी चयन समिति द्वारा किये जा सकते है। इच्छुक योग्य अभ्यर्थी नीचे दिये हुए गुगल लिंक या क्यूआर कोड के माध्यम से गूगल फार्म दिनांक 30.04.2021 को सांय 05.00 बजे तक ऑनलाईन सबमिट करें। प्राप्त आवेदक की 12वीं एवं डिग्री/डिप्लोमा/तकनीकी योग्यता के औसत मार्क प्रतिशत के आधार पर वरिष्ठता सूची में दो गुना अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु कटऑफ मार्क के आधार पर बुलाया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 03.05.2021 को प्रातः 10.00 बजे आवेदक को टाउनहॉल, जिला कलक्ट्रेट केम्पस करौली पर कोविड 19 की गाईडलाईन की पालना करते हुए उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा अन्तिम रूप से पात्र आवेदक को आदेश प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 04.05.2021 को ही कार्यग्रहण करना बाध्यकारी होगा अर्थात् अन्तिम रूप से पात्र आवेदक द्वारा दिनांक 04.05.2021 को कार्यग्रहण नही करने की दशा में सीट/पद रिक्त नही रखा जाकर स्वतः ही अन्य पात्र आवेदक को कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेजो के प्रमाणीकरण के दौरान किन्ही दो अथवा अधिक आवेदको के एक ही पद पर समान अंक प्राप्त होने की दशा में जन्मतिथि के आधार पर नियमानुसार अधिक आयु धारण करने वाले आवेदक को सेवा पर रखा जा सकेगा।

वरीयता सूची में दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के आधार पर चयन किया जावेगा। उपरोक्त यू.टी.बी. चयन प्रक्रिया मे नियमानुसार निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा। पदो का आरक्षण निम्न प्रकार होगा।

क्र0सं0	पद	सामान्य		ओबीसी		एसटी		एससी		ईडब्ल्यूएस		एमबीसी		कुल पद
		पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0	
1.	चिकित्सा अधिकारी (पैथोलॉजी)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	चिकित्सा अधिकारी	9	2	2	3	2	1	2	1	2	0	1	0	25
3.	जीएनएम	14	5	5	4	4	1	6	1	3	1	1	1	46
4.	लैब टेक्नीशियन	15	6	6	4	4	2	6	1	3	1	1	1	50

तथापि आरक्षित क्षेणी के कार्मिक के आवेदन के अभाव में अथवा दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाये जाने पर किसी भी क्षेणी के अभ्यर्थी/आवेदक को वर्तमान आपातिक परिस्थितियों के मध्यनजर सेवा पर लिया जा सकेगा एवं चयन प्रक्रिया मे अन्तिम निर्णय चयन कमेटी का होगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सेवाऐं कोविड 19 वैश्विक महामारी के दौरान आपातिक परिस्थितियों में ली जा रही है। ऐसी दशा में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किये गये उक्त चयन आदेश के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 71 के तहत किसी भी न्यायालय में आवेदक को वाद/याचिका दायर करने का अधिकार नही होगा। गूगल फार्म भरने के बाद आवेदन फार्म एवं दस्तावेजों की प्रतिलिपि कार्यालय मे जमा कराने की आवश्यकता नही है। दस्तावेज सत्यापन के समय ही अपने मूल दस्तावेजों के साथ उनकी प्रति कार्यालय मे लेकर उपस्थित होवें। आवेदन राजकीय पोर्टल **www.karauli.rajasthan.gov.in** के तहत **News/Download section** में उपलब्ध *गूगल फार्म लिंक* पर किया जा सकता है।

(डॉ. दिनेश चन्द मीना)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
करौली